[भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 22/ 2022-सीमा शुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून, 2022

सा.का.नि. ..... (अ)- जहां कि चीन जनवादी गणराज्य (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत देश से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित "ट्रांसपेरेंट बैकशीट को छोड़कर फ्लोरो बैकशीट" (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है) की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्षक 3920 और और 3921 के अंतर्गत आती हैं, के मामले में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 6/3/2021-डीजीटीआर, दिनांक 29 मार्च, 2022, जिसे दिनांक 29 मार्च, 2022 को भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया गया था, के तहत अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि -

(i) विषयगत वस्तु का निर्यात इसके सामान्य मूल्य से कम मूल्य पर भारत में किया गया था, था, जिसके कारण यहां इसकी भरमार हो गई है;
(ii) इसके कारण यहां के घरेलू उद्योग को सारवान क्षति हुई है;
(iii) विषयगत उत्पाद की भरमार होने और घरेलू उद्योग को हुई क्षति के बीच एक सीधा संबंध देखा जा सकता है,

और उन्होंने घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देश में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित और भारत में आयातित इस विषयगत वस्तु के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क लगाए जाने की सिफारिश की है।

अत: अब, सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका मूल्यांकन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचार करने के पश्चात, एतदद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में दिए गए विवरण वाले विषय वस्तु, जो कि कॉलम (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, कॉलम (4) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में मूलत: उत्पादित हैं, कॉलम (5) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देशों से निर्यातित है,

कॉलम (6) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादकों द्वारा उत्पादित है और भारत में आयातित है पर कॉलम (7) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट राशि के बराबर की दर से कॉलम (9) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट मुद्रा में और कॉलम (8) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप इकाई के अनुसार अनुसार प्रतिपाटन शुल्क लगाती है, यथा:-

सारणी

क्र.सं.	टैरिफ शीर्षक	विवरण	मूलत: उत्पादन का देश	निर्यातक देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	3920, 3921	ट्रांसपेरेंट बैकशीट को छोड़कर फ्लोरो बैकशीट	चीन जन.गण.	चीन जन .गण. सहित कोई देश	जॉलीवुड (सुझोऊ) सनवाट कंपनी लिमिटेड	762	एमटी	यूएसडॉलर
2.	3920, 3921	ट्रांसपेरेंट बैकशीट को छोड़कर फ्लोरो बैकशीट	चीन जन.गण.	चीन जन .गण. सहित कोई देश	जॉलीवुड (सुझोऊ) सनवाट कंपनी लिमिटेड के अलावा कोई उत्पादक	908	एमटी	यूएसडॉलर
3.	3920, 3921	ट्रांसपेरेंट बैकशीट को छोड़कर फ्लोरो बैकशीट	चीन जन .गण. से इतर कोई देश	चीन जन.गण.	कोई भी उत्पादक	908	एमटी	यूएसडॉलर

2. इस अधिसूचना के अंतर्गत लगाया गया प्रतिपाटन शुल्क सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के के प्रकाशन की तारीख से पांच वर्ष तक की अवधि (यदि इसके पहले इसको वापस नहीं लिया जाता है, है, इसका अधिक्रमण नहीं होता है या इसमें संशोधन नहीं किया जाता है तो) लागू रहेगी और इसका भुगतान भारतीय मुद्रा में करना होगा ।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के उद्देश्य से ऐसे प्रतिपाटन शुल्क की गणना के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो कि भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया गया हो, में विनिर्दिष्ट की गई होगी और इस विनिमय दर के

निर्धारण की संगत तारीख वह तारीख होगी जो कि उक्त सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 46 के के अंतर्गत आगम पत्र में प्रदर्शित होगी ।

[फाइल संख्या सीबीआईसी -190354/126/2021-टीआरयू अनुभाग -सीबीईसी]

(नितिश कर्नाटक)
अवर सचिव, भारत सरकार